

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्या: 03/2022

प्रार्थी

रमेशकुमार पुत्र तारारामजी, जाति- माली, निवासी- मणादर, तहसील- शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

- (1) मगनलाल पुत्र स्वर्गीय चुनारामजी, जाति- माली, निवासी- लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, तहसील व जिला सिरोही (राज.)
- (2) अर्जुनकुमार पुत्र स्वर्गीय चुनारामजी, जाति- माली, निवासी- लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, तहसील व जिला सिरोही (राज.), हाल- Shree Aashapura Spare Parts Mobile, Door No. 8-12-27, Beside Supriya Hotel, opp. MVR Mall, Main road, gokul nagar, old Gajuwaka, dist. Visakha Patnam (Andhra Pradesh)
- (3) मंजुदेवी पुत्री स्वर्गीय चुनारामजी, पत्नी चुन्नीलालजी माली, जाति- माली, निवासी- लौहारों का वास, वराडा, तहसील व जिला सिरोही (राज.)
- (4) सन्तोषदेवी पुत्री स्वर्गीय चुनारामजी, पत्नी दिनेशकुमारजी, जाति- माली, निवासी- लौहारों का वास, वराडा, तहसील व जिला- सिरोही (राज.)
- (5) आशादेवी पुत्री स्वर्गीय चुनारामजी, पत्नी भरतकुमारजी, जाति माली, निवासी- मोहब्बतनगर, तहसील व जिला- सिरोही (राज.)
- (6) वादीदेवी पत्नी स्वर्गीय चुनारामजी, जाति- माली, निवासी- लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही (राज.)
- (7) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही (राज.)

बनाम

“प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम”

उपस्थिति:

2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
6. अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, अप्रार्थी संख्या: 1, 2 व 4 से 6 की ओर से
7. परोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या-7 की ओर से


-: निर्णय :-

दिनांक 18 जनवरी, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1618 दिनांक 21.7.1992 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1, 2 व 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-7 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया।




अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



ज दो पर

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के तहसीलदार, सिरौही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1618 दिनांक 21.7.1992 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है। यह कि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावाल, तहसील व जिला- सिरौही के पुराने खसरा संख्या 378 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, 380 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा, 381 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, 457 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 459 रकबा 16 बिस्वा व 379 रकबा 18 बिस्वा कुल कित्ता 6 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि धुडिया पुत्र माईगं के पुश्तैनी कब्जे काश्त की संयुक्त कृषि भूमि आई हुई थी, जिसके नये खसरा संख्या 449 से 452, 550 व 552 कुल कित्ता 6 रकबा 6.1500 हेक्टेयर है जिसमें स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगं जी का 1/32 हक हिस्सा स्थित है। उक्त कृषि भूमि स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगंजी के पुश्तैनी कब्जे काश्त की थी। स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगंजी के कुल 3 लड़के एवं 4 लड़कियां पैदा हुई थी। जिसमें से दो लड़को की नाबालिग अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार, धुडाजी का एक पुत्र चुनाराम उर्फ चुनीया जीवित रहा था। इसी प्रकार, धुडाजी के चार पुत्रियों में से दो पुत्रियों की कम उम्र में ही मृत्यु हो चुकी थी एवं एक पुत्री रती की विवाह के एक वर्ष पश्चात् ही मौत हो चुकी थी जिसके भी कोई औलाद नहीं थी। इस प्रकार, पुत्रियों में केवल प्रार्थी की माता शांति ही जीवित थी जिसका विवाह ताराराम पुत्र जीवाजी माली, निवासी- मणादर के साथ हुआ था जिसका प्रार्थी जायन्दा पुत्र है। स्वर्गीय धुडाजी की धर्मपत्नी अमीयादेवी का देहावसान 11.4.2016 को हो चुका है व धुडाजी का देहावसान वर्ष 1990 में हो चुका है। धुडाजी के पुत्र चुनाराम उर्फ चुनीया का स्वर्गवास दिनांक 18.8.2020 को हो चुका है, जिसके वारिसदार व कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 1 से 6 है। प्रार्थी की माता शांतिदेवी का स्वर्गवास 25.10.1994 को हो चुका है। स्वर्गीय धुडाजी का देहावसान 1990 में हुआ, तब उनके वारिसदार एवं कायम मुकाम में चुनाराम उर्फ चुनीया, शांति पुत्री धुडाजी व धुडाजी की पत्नी अमीयादेवी तीनों ही जीवित थे एवं तीनों ही उनके प्रथम श्रेणी के वारिसदार एवं कायम मुकाम थे एवं स्वर्गीय धुडाजी की सम्पत्ति में तीनों ही वारिसदार का 1/3 - 1/3 हक हिस्सा स्थित था, लेकिन धुडाजी के पुत्र स्वर्गीय चुनाराम उर्फ चुनीया ने पटवारी हल्का जावाल एवं राजस्व अधिकारियों से मेलमिलाप कर अकेले अपने आपको स्वर्गीय धुडाजी का वारिसदार एवं कायम मुकाम बताते हुए उक्त नामान्तरकरण संख्या 1618 पारित करवाया, जो विधि विरुद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पटवारी हल्का जावाल ने भी स्वर्गीय धुडिया के वारिसदार एवं कायम मुकाम की किसी प्रकार की जांच पड़ताल किये बगैर चुनीया से सांठगांठ कर गलत रूप से टिप्पणी की एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने भी बिना किसी जाँच पड़ताल किये उसी टिप्पणी को सही होने का उल्लेख किया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार में ही केवल उन्ही टिप्पणियों को आधार मानकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का आदेश पारित करने में कानूनन गलती की है। यह कि उक्त वर्णित धुडाजी के हक हिस्से की सम्पत्ति में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का 1/2 हक हिस्सा स्थित है। यह कि स्वर्गीय धुडाजी की सम्पत्ति पर प्रार्थी की माता का जन्म से ही हक अधिकार है एवं उसके अधिकार को केवल मात्र नामान्तरकरण की प्रविष्टि से कानूनन नहीं हटाया जा सकता है एवं स्वर्गीय धुडाजी के अन्य वारिसान को नजर अंदाज कर केवल अकेले चुनाराम के नाम से पारित उक्त नामान्तरकरण कानूनन विधि विरुद्ध एवं शून्य दस्तावेज है तथा ऐसे दस्तावेज से स्वर्गीय चुनाराम व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को कानूनन कोई हक अधिकार

.....पेज तीन पर





 अति. जिला कलक्टर
 सिरोही (राज.)

पैदा नहीं होते हैं। उक्त नामांतरकरण के आधार पर व उसके पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में की गई समस्त प्रविष्टियां भी शून्य एवं बातिल है एवं इन प्रविष्टियों की आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को उक्त वर्णित हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते हैं। यह कि प्रार्थी पूर्व में अपने पिता के साथ आन्ध्र प्रदेश में निवास करता था और यही पर मजदूरी का कार्य करता था। प्रार्थी अपनी माता स्वर्गीय शांतिदेवी का देहावसान होने के पश्चात् राजस्थान में आ गया था और यहीं पर मजदूरी का कार्य करता था। चूंकि प्रार्थी की माता के जीवनकाल में वह अपने हक हिस्से की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में काश्त करती थी एवं लोगों से भी काश्त करवाती रहती थी। शांतिदेवी का स्वर्गवास होने के काफी समय तक चुनीया शांतिदेवी के हक हिस्से का हासल उन्हें पहुंचाता रहता था जिससे राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने का कभी प्रार्थी को काम ही नहीं पड़ा एवं सर्वप्रथम वर्ष 2019 में चुनाराम ने उक्त जमीन को आगे बेचने व उसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया, तब प्रार्थी ने दिनांक 05.4.2019 को संबंधित राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त की व अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह देवडा से सम्पर्क किया तो उन्होंने प्रार्थी को यह अवगत कराया कि उसके मामा चुन्नीलाल उर्फ चुनाराम व पटवारी हल्का का उक्त कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है जिससे उन्होंने उनके विरुद्ध धारा 467, 468, 471, 420 120बी भारतीय दण्ड संहिता में परिवाद पेश किया जिस पर उक्त परिवाद जांच हेतु पुलिस थाना में भेजा गया था एवं पुलिस थाना द्वारा जांच करने पर उसे दीवानी मामला मानते हुए अन्तिम परिणाम प्रस्तुत किया, जिस पर अधिवक्ता ने उक्त अन्तिम परिणाम में प्रार्थी की ओर से नाराजगी पीटिशन पेश की थी लेकिन इस मुकदमें के विचारण के दौरान स्वर्गीय चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल की मृत्यु हो गयी थी एवं उसके पश्चात् प्रार्थी के अधिवक्ता भी काफी लम्बे समय तक अपनी पत्नी व स्वयं की बीमारी से ग्रसित रहे एवं कोरोना काल की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई एवं अब चुन्नीलाल की भी मृत्यु हो जाने से एवं प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह का भी देहावसान हो जाने से उनके कार्यालय से सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त किये एवं अब अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिन्होंने उक्त नामांतरकरण को चुनौती देने की राय व्यक्त की। तब नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं नकल मिलते ही बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की है। स्वर्गीय धुडाजी के सभी जायदा वारिसदार उसकी सम्पत्ति पर कानूनन हक व अधिकार रखते हैं एवं सभी के नाम नामांतरकरण दायर न कर केवल एक व्यक्ति के नाम से नामांतरकरण दायर किया गया है तो ऐसा नामांतरकरण कानूनन शून्य व बातिल दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में ऐसे तथ्य आने पर अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश का पुनः विवेचन कर उसे पुनर्विलोकन कर सकता है तथा ऐसे शून्य आदेश को कभी भी कानूनन चुनौती दी जा सकती है उसके लिये समय सीमा की बाधा नहीं है। यह कि कोरोना की माहमारी होने से कोरोना अवधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत छुट प्रदान कर रखी है। यह कि उक्त माकुल वजह से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। जिसमें प्रार्थी की कोई लापरवाही या बदनियति नहीं रही है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि RRT 2020(2) Page 791, 2006-07(Supp.) RRT 34, RRT 2018(1) Page 601, RRT 2013(1) Page 473, RRT 2020(1) Page 575 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद समाहित करने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 से 6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थी के सफल होने की कोई आशा

.....पेज चार पर





अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नहीं है। प्रार्थी की माता शान्तिदेवी का जीवत रहना और तारारामजी से विवाह होना स्वीकार है। अमीयादेवी की मृत्यु दिनांक 11.4.2016 को होना भी स्वीकार है। यह कि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की माता का कोई हक हिस्सा नहीं था एवं न ही वर्ष 2005 से पूर्व बहनो के नाम नामान्तरकरण दर्ज होते थे। बाबजूद इसके प्रार्थी के माता को धुडाजी के मृत्यु के बाद नामान्तरकरण के समय वर्ष 1990-91 में रुपये 20000/- अक्षरे रुपये बीस हजार अदा किये थे, जो कि राजीखुशी दिये थे और प्रार्थी की माता व पिता दोनों ही उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहते थे, परन्तु अपीलान्ट गलत आदतों में पड़ गया है और अब ननिहाल की भूमि में हक हिस्सा चाहता है, जिसका कोई हक अधिकार उसे नहीं है। दादा की भूमि में पोते के हक रहता है, परन्तु नाना की भूमि में नातीन को कोई हक नहीं मिलता है। प्रार्थी के पिता प्रार्थी के इस कदम के विरुद्ध है, परन्तु प्रार्थी अपनी गलत आदतों से व गलत संगत की वजह से ननिहाल की भूमि में गलत रूप से हिस्सा पाने के लिये यह अपील पेश की है जो खारिज योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 1618 नियमानुसार दायर होकर स्वीकृत हुआ है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने फौजदारी मुकदमा भी किया था जिसमें प्रार्थी के पिता के द्वारा दिये गये बयानों में अपने पुत्र को गलत बताया, जिससे मुकदमा खारिज किया हुआ है। यह कि प्रार्थी की माता का कोई हक हिस्सा वर्ष 2005 से पूर्व के नामान्तरकरण में नहीं बनता है व न ही प्रार्थी की माता ने अपना हक हिस्सा चाहा है। प्रार्थी की माता की मृत्यु भी दिनांक 25.10.1995 को हो चुकी है ऐसे में अब प्रार्थी का कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं बनता है। नामान्तरकरण सही भरा गया है। यदि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की माता का कोई हक हिस्सा बनता तो वह स्वयं मांग सकती थी, उसके पुत्र द्वारा माता की मृत्यु के 27 वर्ष बाद नाना की भूमि में हक हिस्सा मांगना हास्यापद है। नामान्तरकरण कानून के अनुसार ही भरा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वर्ष 2005 के पश्चात् भरे गये नामान्तरकरण में ही पुत्रियों को हक दिया है। प्रार्थी की माता द्वारा ही उक्त नामान्तरकरण को कानूनन चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पेशकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाना है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, सिरौही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल, तहसील- सिरौही, जिला- सिरौही के पुराने खसरा संख्या 378 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, 380 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा, 381 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, 457 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 459 रकबा 16 बिस्वा व 379 रकबा 18 बिस्वा कुल कित्ता 6 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार धुडिया पुत्र माईगं, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में मृतक खातेदार धुडिया पुत्र माईगं, निवासी- जावाल के दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में चुनीया पुत्र धुडिया, निवासी- जावाल के पक्ष में पटवारी हल्का, जावाल द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1618 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरौही द्वारा दिनांक 21.7.1992 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, सिरौही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार जावाल के इस स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1618 दिनांक 21.7.1992 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थागण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

.....पेज पांच पर




अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

प्रार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि "स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगं की वर्ष 1990 में मृत्यु के समय स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगं जी के वारिसदार चुनाराम उर्फ चुनीया पुत्र धुडाजी, शांति पुत्री धुडाजी व धुडाजी की पत्नी अमीयादेवी जीवित थे एवं तीनों ही प्रथम श्रेणी के वारिसदार एवं कायम मुकाम थे जिनका स्वर्गीय धुडाजी की सम्पत्ति में 1/3 - 1/3 वां हक हिस्सा स्थित था, लेकिन धुडाजी के पुत्र चुनाराम उर्फ चुनीया जी ने पटवारी हल्का जावाल व राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अकेले अपने आपको स्वर्गीय धुडाजी का वारिसदार बताते हुए स्वयं के नाम से नामान्तरकरण पारित करवाया है।" प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि "धुडाजी के पुत्र चुनाराम उर्फ चुनीया जी का स्वर्गवास दिनांक 10.8.2020 को हो चुका है जिसके वारिसदार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 है।" प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि "अपीलार्थी की माता शांतिदेवी का स्वर्गवास दिनांक 25.10.1994 को एवं धुडाजी की पत्नी अमीया देवी का स्वर्गवास दिनांक 11.4.2016 को हो चुका है, जिससे स्वर्गीय धुडाजी पुत्र माईगं के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी अपीलार्थी का 1/2 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का 1/2 हक हिस्सा है। प्रार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1618 दिनांक 21.7.1992 के संबंध में प्रथम बार जानकारी दिनांक 05.4.2019 को राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त होने पर होने का कथन किया है, लेकिन प्रार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से संबंध में जो कारण अंकित किया है वह संतोषप्रद नहीं है। प्रार्थी को जब उक्त नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी दिनांक 05.4.2019 को हो गई थी तो जानकारी तिथि के अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा जानकारी तिथि 05.4.2019 के दो वर्ष नौ माह के पश्चात् दिनांक 07.1.2022 को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में इस विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध प्रत्यर्थीगण मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 जनवरी, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही